प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 983/2022

अनवान : –

1. सुभाष कुमार पुत्र महावीर सिंह जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. इन्द्रपाल पुत्र महावीर सिंह जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. राजपाल पुत्र महावीर सिंह जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. बिमला पत्नी महावीर सिंह जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. तुलछी देवी पत्नी सन्तलाल पुत्री श्योलाल जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. महेन्द्र पुत्र तुलछी देवी जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. जीतराम पुत्र तुलछी देवी जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. सरस्वती पुत्री तुलछी देवी जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–188 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 13.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 37/33 के खसरा न0 419/1 की 5.1220 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिमसें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया स0 1 जो की वादीगण स0 1 ता 3 की भुआ व प्रतिवादीया स0 4 की ननद है व प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 जो की वादीगण स0 1 ता 3 के भुआ के बच्चे व वादी स0 1 के ननद के बच्चे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने एक पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार प्रतिवादीगण [illegible] भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के [illegible] कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण बहिब [illegible] है। [illegible] न्यायालय से [illegible] करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी सम्वत 2075–78 रोही मौजा लाखासर खाता स0 37 प्रदर्श–1, पारिवारिक समझौता राजीनाम प्रदर्श–2, शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श–3 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जो की वादीगण की भुआ के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी एवं प्रतिवादीगण के पारिवारिक समझौता के अनुसार प्रतिवादीगण ने उक्त वाद भूमि में जो भी हक हिस्सा है वह वादीगण के पक्ष में बहिब परित्याग कर दिया है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण डिक्री फरमावें।

हमने पक्षकारान को सुना व प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार खाता स0 37/33 के खसरा न0 419/1 की 5.1220 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजों से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रदर्श–2 पारिवारिक समझौता पेश किया गया है जिससे साबित है की वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादीया स0 1 के अन्य कोई भी वारिसा नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष [illegible] किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के जमाबंदी [illegible] स0 37/33 के खसरा न0 419/1 की 5.1220 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादीया स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए

इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 13/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–लाखासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 983/2022

अनवान : –

1. सुभाष कुमार पुत्र महावीर सिंह जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. इन्द्रपाल पुत्र महावीर सिंह जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. राजपाल पुत्र महावीर सिंह जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. बिमला पत्नी महावीर सिंह जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. तुलछी देवी पत्नी सन्तलाल पुत्री श्योलाल जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. महेन्द्र पुत्र तुलछी देवी जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. जीतराम पुत्र तुलछी देवी जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. सरस्वती पुत्री तुलछी देवी जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 983 सन 2023 निर्णय दिनांक 13.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 37/33 के खसरा न0 419/1 की 5.1220 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादीया स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 13/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–लाखासर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:11 IST
Reason: SelfAttested